

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ****आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 2069/2026**

मो. वसीम जाबेद

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव (गृह विभाग) लखनऊ के माध्यम से

.....विपक्षी पक्ष

आवेदकगण के अधिवक्ता	: राम कुमार सिंह, पवन कुमार शर्मा
विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 28**माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती**

1. अभियुक्त/आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त/आवेदक **मो. वसीम जाबेद** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 728/ 2025, धारा 8/18/60 एन.डी.पी.एस. अधिनियम, थाना मड़ियांव, जनपद लखनऊ में विचारण के दौरान जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए निवेदन किया कि अभियुक्त-आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फँसाया गया है तथा अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार उसके कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है।
4. आगे यह भी निवेदन किया गया कि यदि अभियोजन के मामले को उसके प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी 2.562 किलोग्राम अफीम, जो कि अफीम की वाणिज्यिक मात्रा से थोड़ा अधिक है, आवेदक के कब्जे से बरामद दिखाई गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. आगे यह भी निवेदन किया गया कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 एवं 52 का अनुपालन नहीं किया गया है। एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 में यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध में गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे यह वैधानिक अधिकार है कि उसकी व्यक्तिगत तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष ली जाए, तथापि उक्त अधिकार आवेदक को प्रदान नहीं किया गया था।

6. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उक्त घटना के संबंध में एफ.आई.आर. में दर्शाए अनुसार कोई गवाह, प्रत्यक्षदर्शी अथवा सार्वजनिक गवाह नहीं है तथा आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास भी नहीं है।

7. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक इस मामले में 11.12.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा यह आशंका नहीं है कि जमानत पर रिहा होने के पश्चात अभियुक्त-आवेदक विधि की प्रक्रिया से फरार हो जाएगा अथवा स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने दूसरी ओर यह तर्क दिया कि आवेदक का अवैध कृत्य गंभीर प्रकृति का है, अतः वह जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है। तथापि, वह आवेदक की ओर से किए गए तथ्यात्मक कथनों का खंडन नहीं कर सके कि आवेदक के कब्जे से कथित रूप से बरामद मादक पदार्थ की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से थोड़ी अधिक है तथा वह इस मामले में 11.12.2025 से जेल में है।

9. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दण्ड की गंभीरता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों तथा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37(1)(बी) में उल्लिखित दोहरी शर्तों के पूर्ण होने को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि अभियुक्त-आवेदक अपराध का दोषी नहीं हो सकता तथा जमानत पर रहते हुए किसी अपराध को करने की संभावना नहीं है, और मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरा विचार है कि आवेदक ने जमानत हेतु मामला स्थापित कर लिया है। अतः जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

10. अतः आवेदक – **मो. वसीम जाबेद**, जो उपरोक्त मामले में सम्मिलित है, को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक जांच अथवा विचारण के दौरान गवाहों को डराकर/दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा अथवा किसी अपराध को कारित नहीं करेगा।

11. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

12. आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति तथा निवास संबंधी प्रमाणों का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व किया जाएगा।

13. उपर्युक्त टिप्पणियाँ केवल जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के उद्देश्य से की गई हैं तथा इनका वाद के विचारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

दिनांक : 31 मार्च, 2026

मुक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।